

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान टाईटल सुट संख्या- 15/2015-16

चक्रधर महाकुड।

बनाम


रमेश वारीक एवं अन्य।

आदेश


यह कोल्हान दीवानी वाद दिनांक- 17.12.2015 को चक्रधर महाकुड, पिता- स्व० बलराम महाकुड, निवासी- दिरीबुरु, टोला- नुवागाँव, थाना- गुवा, जिला- पश्चिमी सिंहभूम द्वारा वाद पत्र में वर्णित Sale deed bearing sale deed no.- 192/185 दिनांक- 01.03.2013 के एवज में Cancellation के लिए प्रतिवादी 1. रमेश वारीक, पिता- माकी बारीक, 2. चुनु गोड़, पिता- स्व० सीवु गोड़, दोनों निवासी- दिरीबुरु, टोला- नुवागाँव, थाना- गुवा, जिला- पश्चिमी सिंहभूम एवं 6 अन्य के विरुद्ध दायर किया गया है। इस वाद में वादी द्वारा वाद दायर करने के बाद एक बार भी स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा पैरवी नहीं करने के कारण नोटिस भेजा गया। प्रतिवादी की ओर से लगातार उपस्थिति दी गई है। लेकिन वादी की ओर से नोटिस लेने के बाद भी अपना पक्ष नहीं रखा गया है। इससे प्रतीत होता है कि वादी को वाद भूमि में कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः उक्त के आलोक में इस वाद को खारीज (Dismiss for Default) किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



अपर उपायुक्त,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।



अपर उपायुक्त,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा